

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक : प. 1(6)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 02-09-2014

**-: आदेश :-**


राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर फोरेन्सिक मेडीसिन विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य/आचार्य/सह आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे। संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सक शिक्षकों के कार्यग्रहण से पूर्व इनकी संतान एवं संपत्ति संबंधी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेगें :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष
1	डॉ० एस.आर. कोचर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2013	2013-14
2	डॉ० पी.सी. व्यास	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2014	2014-15
3	डॉ० योगेश शर्मा	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
4	डॉ० आर.के. माथुर	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
5	डॉ० किशन लाल थानक	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
6	डॉ० राकेश पूनिया	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
7	डॉ० राहुल जैन	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
8.	डॉ० आशुतोष श्रीवास्तव	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
9	डॉ० प्रमोद तिवाड़ी	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014	2014-15
10	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.4.2014	2014-15

आदेश से,  
To  
(सम्पत मल लोढ़ा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव